न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 61 / 2021

सहदेव पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 4 सीडीआर सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. शैलेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र हिमताराम जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सौरभ पुत्र शैलेन्द्र उर्फ सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। **— रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर, टिब्बी, दिनांक 31.03.2021, प्र. सं. 35 / 2020

उपस्थितिः—

श्री देवदत्त भिड़ासरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सुनील कुमार परिहार, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2

निर्णय दिनांक 08.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 व 188 आरओएक्ट के संबंध में एक वाद किया, जिसमें चक 4 सीडीआर की .328 है0 व चक 5 सीडीआर की 0.380 है0 भूमि जो रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की पत्नी रेस्पो0 सं0 2 की माता सरोज के नाम थी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद यह कथन करते हुए किया था कि उपरोक्त कुल 0.708 है0 भूमि उसकी सरोज से वर्ष 2001 में खरीदशुदा भूमि है तभी से अपीलाण्ट इस भूमि पर काबज हो कर काश्त कर रहा है। मृतक सरोज अपीलाण्ट की बहन होने के कारण विश्वास में बैयनामा नहीं करवाया व मृतक सरोज द्वारा भी यह विश्वास दिलाया गया था कि जब कहों बैयनामा आपके नाम करवा दूंगी [illegible] रूप से सरोज की मृत्यु के बाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा लिए [illegible] लिए अपीलाण्ट ने उक्त भूमि बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट ने वाद के साथ धारा 212 आरटीएक्ट के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया था जिसमें वादग्रस्त भूमि को रहन बैय न करने व प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी न करने की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आदेश के द्वारा धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादग्रस्त आराजी उसकी सन 2001 में रेस्पोडेण्टस की पत्नी/माता सरोज से खरीदशुदा है और खरीद की दिनांक से ही वह इस भूमि पर काबिज है। अपीलाण्ट का कब्जा जल संसाधन विभागी बारा बंधी पड़ोसी काश्तकारों के शपथ पत्र आदि से पूर्णतया सबित है।मृतक सरोज ने कभी भी अपने जीवनकाल में बैयनामें से इन्कार नहीं किया व न ही अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी ही की है। अपीलाण्ट सद्भावी क्रेता है व खरीदशुदा भूमि पर पूर्ण प्रतिफल अदा करके भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुवधिा का सन्तुल व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में होना पूर्णतया साबित है। रेस्पोडेण्ट का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट को वाद भूमि से बेदखल करने पर उतारू है यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2013 (1) पेज 123, आरआरडी 1987 पेज 426, आरबीजे पेज 475 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये

3. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि मृतक सरोज ने अपीलाण्ट को कभी भी नहीं बेची। सरोज फौत हो चुकी है। भूमि टुकड़ों में होने से कोई असुविधा नहीं थी काश्त करना पूर्ण रूप से सुविधाजनक था। अपीलाण्ट विवादित भूमि पर वर्ष 2001 से खरीद के आधार पर काश्त नहीं कर रहा है। जब भूमि का बेचान ही नहीं हुआ तो गवाहों के सामने भूमि का कब्जा सुपुर्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। विवादित भूमि पर हमेशा मुस्मात सरोज का ही कब्जा काश्त था। प्रार्थी ने कभी भी रकमराज व आबियाना जमा नहीं करवाया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी भूमि है। अपीलाण्ट का इस भूमि में कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं अप्रार्थीगण का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी व दावेदार नहीं है। रेस्पोडेण्ट्स रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपने कथनों में समर्थन में डीएनजे 2021 (1) पेज 118 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाण्ट/प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए निम्न तीन बिन्दुओं को साबित करना जरूरी है:–

6. प्रथम दृष्टया मामला:– अपीलाण्ट का कथन है कि उसके द्वारा वर्ष 2001 में विवादति आराजी को खरीदा गया था। लेकिन अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा ना ही अपील स्तर पर अपीलाण्ट ने ऐसा कोई पंजीकृत बैयनामा प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्गनत भूमि उसके खरीदा गया था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अपीलाण्ट के पक्ष नहीं है।

7. सुविधा का सन्तुलनः– रेस्पोडेण्ट अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि रेस्पोडेण्ट ने गलत रूप से भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया है। लेकिन अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे साबित हेा कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का हक अधिकार हो एवं रेस्पोडेण्ट ने इस भूमि को अपने नाम से गलत इन्द्राज करवा लिया है। रेस्पोडेण्ट्स अभिलिखिलत खातेदार काश्तकार है। यदि उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपीलाण्ट की बजाय रेस्पोडेण्ट को असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है।

8. अपूर्णीय क्षतिः– अपीलाण्ट ने कोई रजिस्टर्ड बैयनामा अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ये साबित हो कि प्रश्गनत भूमि उसके द्वारा खरीद की गई है। रेस्पोडेण्ट अभिलिखत खातेदार काश्तकार हैं। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो इससे अपीलाण्ट को कोई अपूर्णीय क्षति कारित नहीं होती है।

9. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विलश्षेण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2021 यथावत रखा जाता है। चूंकि प्रश्गनत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। अतः अपीलाण्ट को विधि प्रक्रिया अपना नियमानुसार बेदखल करने की कार्यवाही करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/12/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:39 IST
Reason: SelfAttested